न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 53 / 2019

दुर्गाराम पुत्र मेघाराम जाति जाट निवासी हनुतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

आवेदक

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र गणपत जाति जाट निवासी हनुतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. महेन्द्रसिंह पुत्र मुलचन्द जाति जाट निवासी हनुतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. रूपेशकुमार पुत्र मुलचन्द जाति जाट निवासी हनुतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
4. विद्याधर पुत्र मुलचन्द जाति जाट निवासी हनुतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

अनावेदकगण

वकील वादी – राजेश पुनियां
वकील प्रतिवादी –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय

दिनांक 24.01.2023

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम हनुतपुरा पटवार हल्का बाजला में भूमि ख0न0 20 रकबा 2.86 है0, ख0न0 42 रकबा 2.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.96 है0 भूमि अवस्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी काश्तकार की भूमि है। अनावेदक संख्या 1 की खातेदारी भूमि वाके ग्राम हनुतपुरा के ख0न0 21 रकबा 2.86 है0, ख0न0 41 रकबा 5.05 है0 कुलकिता कुल रकबा 7.91 है0 भूमि स्थित है। इसी प्रकार अनावेदक संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी भूमि वाके ग्राम हनुतपुरा के ख0न0 43 रकबा 1.48 है0 भूमि स्थित है। आवेदक द्वारा जमीन ख0न0 20, 42 का सीमाज्ञान दिनांक 14.06.2019 को करवाया था। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित भूमि ख0न0 20 व 42 की फर्द सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट दिनांक 14.06.2019 के मुताबिक पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 4 बाद तामील अनुपस्थित। अनावेदकगण की तामिल विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्दि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अनावेदक संख्या 5 परफोरमा पक्षकार होने से इनके जवाब की आवश्यकता नहीं होने से सीधे बहस विद्वान

अधिवक्तागण श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 14.06.2019 के पत्थरगढ़ी करवाये जाने का अनुरोध किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदक के प्रार्थना पत्र एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। आवेदक ने अपनी खातेदारी भूमि का तहसीलदार मलसीसर से दिनांक 14.06.2019 को नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया है जिसकी सत्य प्रतिलिपि पत्रावली में सलंग्न है। आवेदक अपनी खातेदारी काश्तकारी की भूमि पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी करवाना चाहता है जो न्यायसंगत है। अनावेदकगण बाद तामिल अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। तमाम तथ्यों, दस्तावेजों एवं बहस विद्वान अधिवक्ता के प्रकाश में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये पर ग्राम हनुतपुरा पटवार हल्का बाजला स्थित भूमि ख0न0 20 रकबा 2.86 है0, ख0न0 42 रकबा 2.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.96 है0 भूमि की मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/1/23

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर